न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :—श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :— 47 / 2022

जीसीएमएस नं. :— 2022 / 257

बनाम

वादीगण :—
1. दीनाराम पुत्र शेराराम
2. सुखाराम पुत्र शेराराम
जातियान मेघवाल निवासीगण
रामड़ावासकलां हाल निवासी
जाटियावास तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर।

प्रतिवादी :—
तहसीलदार, तहसील कार्यालय
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू.रा. अधिनियम

दर्ज दिनांक :—24.06.2022

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री निर्मल कटारिया वादीगण की ओर से
प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर

''आदेश''

दिनांक : 06.08.2025

वादीगण ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 88 व 136 भू. राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रामड़ावास कलां हाल निवासी जाटियावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के मूल निवासी एवं कृषि कार्य करते अपने एवं अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। ग्राम जाटियावास पटवार हल्का बुचकला भू—अभिलेख निरीक्षक बुचकला तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की खरीदसुदा कृषिभूमि खसरा नं. 93 रकबा 2.6535 हेक्टेयर किस्म बारानी अलीफ भूमि आई हुई है जिसके खाता सं. नया 290 व खाता सं. पुराना 235 हैं।जिसे आगे इस प्रार्थना—पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जाएगा। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की खरीदसुदा भूमि हैं जिसकी बैचान रजिस्ट्री निष्पादन के समय प्रार्थी संख्या 1 के घरेलु बोलचाल वाला रामदीन पुत्र शेराराम अंकित हो गया जिस कारण उक्त वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम ऑनलाईन इन्द्राज करते समय प्रार्थी संख्या 1 का नाम रामदीन इन्द्राज हो गया तथा इसी प्रकार प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम शेराराम हैं किन्तु राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी ऑनलाईन करते समय लिपिकीय त्रूटिवश प्रार्थीगण के पिता का नाम शेराराम के स्थान पर शेषाराम अंकित हो गया हैं जबकि वास्तविकता में प्रार्थी संख्या 1 के समस्त पहचान के दस्तावेज में प्रार्थी संख्या 1 का नाम रामदीन के स्थान पर दीनाराम अंकित किया हुआ है इसलिए प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में अपना व अपने पिता का सही नाम दर्ज करवाना चाहते हैं तथा प्रार्थी संख्या 1 अपने घरेलु बोलचाल वाले नाम रामदीन के स्थान पर अपना वास्तविक रिकॉर्डेड नाम दीनाराम घोषित करवाना चाहता हैं। प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयों में अपने—अपने गलत नाम राजस्व रेकर्ड में जो इन्द्राज हुए हैं जिसकी त्रुटि को प्रार्थीगण दुरुस्त करवाना चाहते हैं। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने अपने—अपने सही एवं वास्तविक नाम बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में आधार कार्ड व बेचान रजिस्ट्री, भामाशाह कार्ड इत्यादि सरकारी दस्तावेज सलंग्न किये हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजीयों में प्रार्थीगण के गलत नाम रामदीन पुत्र शेषाराम जाति मेघवाल के स्थान पर सही नाम दीनाराम पुत्र शेराराम व इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 के गलत नाम सुखाराम पुत्र शेषाराम के स्थान पर सही नाम सुखाराम पुत्र शेराराम जाति मेघवाल रेकर्ड दुरुस्त एवं घोषित फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी में उपरोक्तानुसार

प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता के सही नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें तथा अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के पक्ष में अता फरमावें।

हमने वादीगण के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर को जरिये नोटिस जारी किया गया । प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ और तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि वादीगण ने मौजा जाटियावास के खसरा नम्बर 93 रकबा 2.6535 है. जो कि दिनांक 05.03.1987 को कय की जिसमें केता का नाम सुखाराम, रामदीन पिता सेराराम कौम मेघवाल दर्ज इसी से उक्त भूमि कय की । केतागणो(वादीगण) के पिता के नाम शेराराम के स्थान पर शेषाराम लिपीकिय भूमि से दर्ज से हो गया। अतः वादीगणो के पिता का सही नाम दुरूस्त करके शेषाराम के स्थान पर सेराराम किये जाने की अनुशंषा की हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी, जिसमे वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के बिन्दुओ को वादीगण की संयुक्त खातेदारी की खरीदसुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 93 रकबा 2.6535 हेक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के गलत नाम रामदीन पुत्र शेषाराम के स्थान पर दीनाराम पुत्र शेराराम व सुखाराम पुत्र शेषाराम के स्थान पर सुखाराम पुत्र शेराराम जाति मेघवाल दुरूस्त करवाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने नाम शुद्धि बाबत् अनापति जाहिर की है ।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार जवाब अनुसार वादीगण का वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी की खरीदसुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 93 रकबा 2.6535 हेक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के गलत नाम रामदीन पुत्र शेषाराम के स्थान पर दीनाराम पुत्र शेराराम व सुखाराम पुत्र शेषाराम के स्थान पर सुखाराम पुत्र शेराराम जाति मेघवाल दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 6.8.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर